न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—29/2012 (2012/00022) वाद पत्र

अनवान

1—देवनाथ पिता अणदा नाथ निवासी मियाला मृतक के बजाय
1/1—कैलाश पिता देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/2—बदाम पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/3—कमला पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/4—कंचन पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
2—लाडुनाथ पिता अणदानाथ जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—बादुनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—घासी रावल पिता नाथु रावल निवासी मियाला मृतक के बजाय
2/1—कंकु पत्नि घासी रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—शंकरलाल पिता नाथु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—कालु पिता नाथु रावल निवासी मियाला मृतक के बजाय
4/1—पन्ना पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2—प्रेम पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला मुतक के बजाय
4/2क—मंजु पत्नि प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2ख—आशा पुत्री प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2ग—किशनरावल पिता प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2घ—चन्दा पुत्री प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जरिये सरंक्षक माता
4/2ङ—लाला पिता प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जरिये सरंक्षक माता
4/3—सत्तु रावल पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4—गुणनाथ पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/5—नेनुदेवी पत्नि कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/6—कमली पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गोपा पिता नाथु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लेहरू पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—गोरधननाथ पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—केलानाथ पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—गोदु पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—हगामी पत्नि मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—भवरनाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—सुड़ानाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—मिश्रीनाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14—ब्रदी पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15—नेनुड़ी पत्नि मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16—जगदीश पिता बालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17—डाली पत्नि बालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18—श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः–29/2012 (2012/00022) वाद पत्र

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन–

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः–02.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती मौरूषी कृषि भूमियां स्थित है पुरानी कृषि आरायिजात संख्या 9 रकबा 6 बिस्वा, 10 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, 15 रकबा 19 बिस्वा, 16 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 17 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा, 117 रकबा 1 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज मोतीजी रावल के नाम दर्ज थी। मोतीजी के देहान्त के बाद नाथु, हीरा, मोडा पिता मोती जोगी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि मोतीजी रावल के जायन्दा 4 पुत्र नाथुनाथ, हीरानाथ, अणदानाथ व मोडानाथ हुए तथा प्रत्येक भाई का 1/4 हिस्सा होकर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मोतीजी रावल की मृत्यु संवत 2000 से पूर्व ही हो चुकी थी तथा सेवन से नाथुनाथ का 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया तथा हीराजी का 1/4 हिस्सा व मोडाजी का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि वादीगण के पिता अणदानाथ का हिस्सा नाथुनाथ के नाम दर्ज कर दिया व वादीगण के पिता का नाम जमाबंदी मेवाड़ सेटलमेन्ट उदयपुर संवत 2004 में दर्ज नही किया गया। ग्राम मियाला का भूप्रबन्ध होने से नवीन नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये आराजी संख्या 13 रकबा 0.06 है0, 14 रकबा 2.40 है0, 19 रकबा 0.20 है0, 20 रकबा 0.01 है0, 21 रकबा 0.49 है0, 22 रकबा 2.26 है0, 199 रकबा 0.11 है0, 200 रकबा 0.11 है0 मिलान क्षैत्रफल की नकले प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियां वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है वर्तमान जमाबन्दी की नकले वाद पत्र के साथ पेश की है। वादीगण का 1/4 हिस्सा नाथुजी के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण घासीनाथ, शंकरनाथ कालुनाथ गोपा, लेहरू, हगामी, गोरधन व केलनाथ के नाम विरासत से दर्ज हो गया जबकि इन प्रतिवादीगणो का मौरूषी कृषि भूमियो में 1/4 हिस्सा ही है तथा 1/4 हिस्सा पर ही इनका कब्जा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को हिस्सा अपने नाम पर कराने हेतु कहा गया तो टालमटुल करते रहे है जिससे वाद निरन्तर उत्पन्न होकर जारी है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि वादीगण के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 से 10 का 1/2 हिस्सा के बजाय 1/4 हिस्सा वादीगण को उक्त वर्णित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादीगणो के विरूद्व प्रदान कराई जायें। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान कराई जाये कि वादीगण के 1/4 हिस्से की कृषि भूमियों पर वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण दखलदांजी स्वयं नही करे न ही किसी अन्य से करावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादीगणो बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अ[illegible] कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.01.2011 को निर्णय पारित किया गया उक्त [illegible] के विरूद्व न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, [illegible] के न्याया[illegible] अपील करने पर अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2012 को प्रकरण [illegible] करते हुए निर्देशित किया कि उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पु[illegible]ये सिरे से निर्णय पारित करे। उक्त निर्णय की पालना में इस न्यायालय में पुन दिनांक 30.03.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1, 11 से 17 बावजुद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

के अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये किन्तु जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द करते हुए आगामी कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी संख्या 18 फौरमल पक्षकार है जिससे कोई राहत नही चाही गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में वादी लाडुराम व स्वतंत्र गवाह ईश्वरनाथ पिता गोकलनाथ के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि मुल खातेदार मोतीरावल के 4 पुत्र थे नाथुनाथ, हीरानाथ, अणदानाथ व मोडानाथ जिनका सजरा वाद के कलम 2 में किया गया है। मूल पुरूष मोतीनाथ के फोत होने पर मोतीनाथ के नाम दर्ज भूमि उसके 3 पुत्रो नाथुनाथ का 1/2 हिस्सा, हीरानाथ 1/4 हिस्सा एवं मोडानाथ का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दी गई जिसमें वादीगण के पिता अणदानाथ का हिस्सा नाथु के नाम दर्ज कर दिया गया वादीगण द्वारा वाद को प्रमाणित कराया गया है तथा मूल खातेदार के 4 पुत्र होना ग्राम पंचायत से सजरा प्रमाणित करा पेश किया गया है जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसी अनुसार वाद डिक्री फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया वादपत्र की कलम 2 के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के बयान एवं ग्राम पंचायत के द्वारा मोतीजी के विधिक वारीसान के प्रमाणित सजरा में मूल पुरूष मोतीजी के 4 पुत्र नाथुनाथ, हीरानाथ, अणदानाथ व मोडानाथ होना अकिंत किया है जिसमें वादीगण अणदानाथ के पुत्र है जिनका नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज नही कर उसके बजाय नाथुनाथ का 1/2 हिस्सा, हिरानाथ का 1/4 हिस्सा एवं मोडानाथ का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो रेकार्ड से प्रमाणित है, जबकि वादीगण के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज न होकर नाथुनाथ के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है जो रेकार्ड से प्रमाणित है। शेष हीरानाथ व मोडानाथ के नाम 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज है। तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गगांपुर के द्वारा भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर दिनांक 13.01.2011 को वादीगण के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मै भी इस निष्कर्ष पर पहॅचा कि वादीगण मृतक खातेदार मोतीनाथ के पुत्र अणदानाथ के विधिक वारीस है जिनको नाथुनाथ के विधिक वारीसान के साथ 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 13 रकबा 0.06 है0, 14 रकबा 2.40 है0, 19 रकबा 0.20 है0, 20 रकबा 0.01 है0, 21 रकबा 0.49 है0, 22 रकबा 2.26 है0, 199 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.53 है0 भूमि में नाथुनाथ के विधिक वारीसान के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में से वादीगण को 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 1/4 हिस्सा [illegible] वारीसान का यथावत रहेगा। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को मे[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

02.09.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–29/2012 (2012/00022) वाद पत्र

अनवान

1–देवनाथ पिता अणदा नाथ निवासी मियाला मृतक के बजाय
1/1–कैलाश पिता देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/2–बदाम पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/3–कमला पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
1/4–कंचन पुत्री देवनाथ जोगी नि. मियाला हाल साकरड़ा तह. आमेट जिला राजसंमद
2–लाडुनाथ पिता अणदानाथ जोगी नि. मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–बादुनाथ पिता सुवानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–घासी रावल पिता नाथु रावल निवासी मियाला मृतक के बजाय
2/1–कंकु पत्नि घासी रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–शंकरलाल पिता नाथु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–कालु पिता नाथु रावल निवासी मियाला मृतक के बजाय
4/1–पन्ना पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2–प्रेम पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला मुतक के बजाय
4/2क–मंजु पत्नि प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2ख–आशा पुत्री प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2ग–किशनरावल पिता प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2घ–चन्दा पुत्री प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जरिये सरंक्षक माता
4/2ड–लाला पिता प्रेम रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जरिये सरंक्षक माता
4/3–सत्तु रावल पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4–गुणनाथ पिता कालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/5–नेनुदेवी पत्नि कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/6–कमली पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–गोपा पिता नाथु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–लेहरू पिता कालु रावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–गोरधननाथ पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–केलानाथ पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–गोदु पिता मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–हगामी पत्नि मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested

11–भवरनाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12–सुड़ानाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13–मिश्रीनाथ पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14–ब्रदी पिता मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15–नेनुड़ी पत्नि मोडानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16–जगदीश पिता बालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17–डाली पत्नि बालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18–श्रीमान् लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर में वादवर्णित आराजी संख्या 13 रकबा 0.06 है0, 14 रकबा 2.40 है0, 19 रकबा 0.20 है0, 20 रकबा 0.01 है0, 21 रकबा 0.49 है0, 22 रकबा 2.26 है0, 199 रकबा 0.11 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.53 है0 भूमि में नाथुनाथ के विधिक वारीसान के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में से वादीगण को 1/4 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं शेष 1/4 हिस्सा नाथुनाथ के विधिक वारीसान का यथावत रहेगा।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

02-09.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.21 14:08:40 IST
Reason: SelfAttested